न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :— 30/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हरीसिंह पुत्र श्री सुवालाल जाति मीना निवासी ग्राम ईटेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री सोहनलाल,
2. हरबीर,
3. विश्वेन्द्र सिंह पुत्रान जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम ईटेडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :—
1. श्री सतीश जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—30.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 7.4.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 वाके ग्राम ईटेडा में स्थित है जिसमें सायल व उसके भाई समयसिंह का 1/8 भाग है जिसका सायल व गैर सायलान के मध्य तकासमा नहीं हुआ है । उक्त आराजी को सायल व गैर सायलान शामलात में उपभोग करते आ रहे हैं परन्तु अब सायल व गैर सायल के मध्य विवादित आराजी के बंटवारे को लेकर तनाजा है । सायल अकेला व्यक्ति है जबकि गैर सायलान लड़ाकू किस्म के व्यक्ति है एवं आये दिन उक्त आराजी के शामलात में काश्त करने में मजाहमत करते हैं । गेर सायल नं0 1 ल0 4 ने ख0 नं0 996 में से मिट्टी खुदाई का काम शुरू कर दिया है एवं जेसीबी से मिट्टी ख0 नं0 993 में जाकर डाल रहा है एवं मकाने बनाने हेतु मौके पर पत्थर बजरी डाल दिये हैं ।

गैर सायलान जबरन अच्छी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं । अगर ऐसा करने में गैर सायल कामयाब हो गये तो सायल को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए उन्हें पाबन्द किया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/गैर सायल को तलब किया लेकिन कोई उपस्थित नहीं आये । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 7.4.2017 को सायल का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 7.4.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं आये । इसलिए तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अपीलांट अभिभाषक ने बहस में दावे और अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित आराजी में अपीलांट व उसके भाई समयसिंह का 1/8 भाग है जिसके अभिलिखित सह खातेदार काश्तकार है । विवादित आराजी का सह खातेदारान वादी/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पो0 के मध्य कोई विधिक या मौखिक विभाजन नहीं हुआ है । समस्त सह खातेदार शामलात में विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वर्तमान में अपीलांट का अपने हिस्से पर शामलात में कब्जा है । रेस्पो0 ने अपीलांट के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है जो अपीलांट को विवादित आराजी में उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और मौके पर निर्माण करना चाहते हैं जिसका कि रेस्पो0 को बिना विधिक विभाजन कोई नैतिक एवं विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । तहत न्यायालय में पेशकर्दा वाद तकसीम आराजी व हुक्म ईम्तनाई दवामी का है । पक्षकारान के अधिकारों का निर्णय मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । यदि दौराने विचारण वाद रेस्पे0/अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी से अपीलांट/प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दिया तथा विवादित आराजी पर बिना विधिक विभाजन निर्माण कर लिया तो नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिीए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वाद के तथ्यों तथा अपील मीमों के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.4.2017 का अवलोकन करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया ।

अपीलांट द्वारा सह खातेदार के रूप में विवादित आराजी का बंटवारा करने बाबत तहत न्यायालय में वाद पेश किया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में अनुतोष चाहा गया है कि बिना बंटवारा कराये कोई कच्चा या पक्का निर्माण रेस्पो0 नहीं करें तथा सायल को उसके हिस्से में उपयोग व उपभोग में रूकावट पैदा नहीं करें तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अपीलांट द्वारा यह अनुतोष चाहा जा रहा है कि विभाजन तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें । रहन, बय नहीं करें । सायल/अपीलांट को जबरन बेदखल नहीं करें तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें ।

अपीलांट/प्रार्थी की प्रार्थना के साथ अधीनस्थ न्याययालय के निर्णय व बहस का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की इस्तदुआ

खारिज कर दी है । अपीलांट अभिभाषक का दौराने बहस मुख्य अनुतोष यही है कि उसे उसके हिस्से अनुसार जहा तक काबिज है, बेदखल नहीं किया जावे तथा काश्त करने में रूकावट नहीं की जावें ।

अपीलांट द्वारा चाहा गया यह अनुतोष उचित प्रतीत होता है । इसलिए रेस्पो0 को जरिये स्थगन आदेश मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाना उचित होगा । इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है और तहत न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का निर्णय दिनांक 7.4.2017 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 को जरिये स्थगन पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक अपीलांट के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल नहीं करें तथा उसके काबिज हिस्से पर जबरदस्ती किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर